

आर्किटेक्चर के छात्र की गोली मार हत्या, चाची को पीटकर हाथ तोड़ा

संवाददाता-गोरखपुर। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरोली खुर्द गांव में सोमवार को काम बंदों में रंजिश में चाचा को पीटकर उनका हाथ तोड़ दिया। सूचना पर चाचा को देखने पहुंचे वतीजे आदेश (24) को भी दबंगों ने लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटा फिर गोली मारकर घर के सामने फेंक गए। जिला अस्पताल में मौत की पुष्टि के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने शव को मौजूदगी में रखवा दिया। आदेश गोरखपुर के एक कोलेज से आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था। वह तारामंडल क्षेत्र में कमरा किराए पर लेकर रहता था। उमर, हत्या के बाद गांव में नानाव को देखते हुए पुलिस फोर्स नदीत है। आरोपी घर से फरार हो गए हैं। घर पर सिर्फ महिलाएँ ही हैं। सिकरीगंज के अहिरोली खुर्द गांव में आदेश चौधरी की हत्या के पीछे पुलिस की नौकरी भी कम जिम्मेदार नहीं है। सोमवार की शाम में आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर आदेश को चाचा विनोद चौधरी पर हमले जालेला हत्या किया। यहां पर गनीश ब्राह्म लाने के बाद बह करियाद लेकर थाने पर गए तो किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं ली। एक वरिष्ठ नागरिक को बुली भी तो दूसरे दिन प्रार्थना पत्र लेकर आने को कहते हुए दरका दिया। थोड़ी ही देर बाद विनोद के भतीजे आदेश चौधरी की



गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारों के मुताबिक, दीपू चौधरी मुर्दा में रहकर सिद्धार्थ नगर में काम करता है। उसके घर के पीछे ही एक फोखरा है जिसे लेकर वेबे समय से बूझते रिपार्डों के समय से विवाद चल रहा है। गर्मी के परिय में विद्या सूख जाता है और गांव के बच्चे उसमें खेलते हैं। बताया जा रहा है कि बार वर्ष पहले वृजेश और दीपू दोनों ही परिवार के बच्चे उसी सूखे हुए तालाब में खेल रहे थे। इस दौरान बच्चों के बीच में विवाद हो गया। इस बवालु बड़े बुजुर्गों ने दोनों बच्चे को डांटते हुए मारा। बाद में इस लेकर दोनों परिवारों में विवाद हो गया था। तभी से दोनों परिवारों में रंजिश गहरी हो गई। इस बीच आदेश आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए गोरखपुर शहर चला आया और तारामंडल में किराया

का मकान लेकर रहने लगा। वह गांव में ही कम ही जाता था। लेकिन सोमवार को उसके पिता दीपू मुर्दा से गांव आए थे। इसी बीच चाचा की पिटाई की खबर पाकर बह गांव गया था और बला हो गई। थाने की पुलिस पर गांव बला का गुस्ता इस्वी बात को लेकर ज्यादा है कि अगर पुलिस ने विनोद की फरियाद सुनकर गांव में आरोपियों की तलाश और कार्रवाई की होती तो फिर उनकी हिम्मत इतनी तो नहीं हो पाती कि वह आदेश की गोली मारकर हत्या कर देते। फिलहाल, गांव में फोर्स तैनात कर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। तीन भाइयों में आदेश सबसे बड़ा था। छाटा भाई अभिषेक चौधरी (20) और विवेक चौधरी (18) गांव पर ही मुर्दा पड़ाई करते हैं। घटना के समय दोनों भाई अपने घर पर ही मौजूद

नागपंचमी पर गोरखखण्ड मंदिर में होंगे दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता, सीएम रहेंगे मौजूद



प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइमजनरी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार व वीर अभिनव तीन वर्गों में होगी। इसमें प्रदेश के विभिन्न मंडलों, कुश्ती छात्रावलों, स्पोर्ट्स कॉलेजों समेत गाजियाबाद, नोएडा, बनारस आदि जिलों व बके पहलवान भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश केसरी के विजेता को पुरस्कार के रूप में 1.01 लाख रुपये नकद व गदा तथा उप विजेता को 51 हजार रुपये प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश कुमार वर्ग में विजेता को 51 हजार रुपये नकद व गदा और उप विजेता को 25 हजार रुपये की पुरस्कार प्राप्त होगा। श्री सिंह ने बताया कि कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन 8 अगस्त 2024 को दोपहर 12:30 बजे से होगा कार्यक्रम समापन व पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम 9 अगस्त 2024 को दोपहर 3 बजे होगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ वतीर अखंड अतिथि जिलाधिकारी के उस्ताहकल व पुरस्कार वितरण के लिए उपस्थित रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्षेत्रीय क्रीडाहिकारी आले हेदर, जिला कलेक्टर संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही और कुश्ती प्रशिक्षक चन्द्रविजय सिंह आदि भी उपस्थित रहे।

संवाददाता-गोरखपुर। कुश्ती संघ की तरफ से इस प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइमजनरी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में विजेता प्रतियोगिता में लखे रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। इस बार प्रतियोगिता में विश्व स्तरीय पहलवानों समेत 300 से अधिक पहलवान प्रतियोगिता करेंगे। दो दिवसीय (6 व 9 अगस्त 2024) कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल मुकामले में उत्साहकल तथा विजेताओं को पुरस्कार करने के लिए मुख्यमंत्री 9 अगस्त को बहाल मौजूद रहेंगे। यह जानकारी मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि नागपंचमी पर देशज खेलों की प्रारंभ परंपरा रही है। गोखलाख मंदिर का भी इस परंपरा से गहरा जुड़ाव है। मंदिर में हर वर्ष इस पर्य पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है। कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए गोखलापीठेश्वर संघ प्रदेस स्तरीय कर दिया गया है। कुश्ती संघ की तरफ से इस प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइमजनरी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में विजेता

कार्यालय ग्राम पंचायत नरायनपुर विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती। अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024-25 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईट, रोडा, सीमेन्ट, ट्रेडिंगफिटिंग मॉरंग, बालू, इन्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल हयूम पाइप वाल पुड्री टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पॉटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरूमत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनांक: 07.08.2024 से 15.08.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनांक 16.08.2024 सायं 1:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनांक नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
नोट:- निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान-सुशीला
ग्राम पंचायत-नरायनपुर
विकास खण्ड-बहादुरपुर, बस्ती

सचिव/ग्रा.प्र.अ.-सर्वेश यादव
ग्राम पंचायत-नरायनपुर
विकास खण्ड-बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /06.08.2024 वित्तीय वर्ष 2024-25

अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर मिली बार दिन से तापता स्लाक की ऋणा

संवाददाता-अम्बेडकरनगर। वीते शनिवार को मालीपुर थाना क्षेत्र की तापता छात्रा अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर मिली। छात्रा के अंतर्गत स्लाक जाते समय उसका अहमण हुआ। आरोपीएन ने आगे की कार्रवाई कर मालीपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। मंगलवार को रेलवे ड्यूका बल अकबरपुर के प्रमारी त्रीरक्षक जीएस गौतम हमराहियों के साथ स्टेशन की गस्त पर एक थे। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर एक पर एक लड़की रोते हुए मिली। कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम अनिमा और ग्राम अकना इस्माईलपुर थाना मालीपुर का निवासी बताया। कहा कि तीन अगस्त को घर से अपना बीए द्वितीय का एडमिशन करने के लिये बीरठ प्रयास स्मारक पोस्ट प्रेडपुर्ण कालेज कुंडा मेथुवर जिला बलुनगर के लिये एक ई- रिक्शा से जा रही थी। कुल से पहले नेमपु घाट के पास ई रिक्शा

अदालती नोटिस
न्यायालय सिविल जज (सीओ/30) सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्योगोणा
प्रार्थी/प्रार्थीगण
नाम
बनाम
इस्टेट
प्रो प्रो अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
तारीख पेशी 08-09-2024
अपने चचेरे भाई मृतक दशरथ पुत्र मुर्दाई को देव ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राति के लिये सन 1886 ई० के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।
चूकि
प्रमाण पत्र को अभिप्राति के लिये आवेदन दिया है और सन 2024 के 09 के 06 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उद्योगोणा निकाली जाती है कि जिस किरी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा .10 बजे पूर्वान न्यायालय सिविल जज (सीओ/30) सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप सजात होकर अपनी आपति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किरी की आपति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।
20 के 08 के 03 दिवस को दिनांकित।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. पटवरीश 2. जायदीश 3. कमलेश 4. अरुणेश पुत्रगण अनिबद्ध साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा नगर बहारा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024
5. ओमशंकर 6. प्रेमशंकर पुत्रगण रमेश्वर. गीता देवी पत्नी विजयशंकर 9. कुनाल पुत्र विजयशंकर 10. राजपति पत्नी राजामा 11. पारसनाथ पुत्र रामेश्वर 12. शंकरशरण पुत्र देवानगि साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा तहसील मन्कपुर जयनन्द-बहादुर 13. कृष्णार 14. बबनशर पुत्रगण पुत्रगण 15. सुशील 16. सतीश पुत्रगण शंकर 17. कु० शशि पुत्री रामशंकर 18. सरोज देवी पत्नी रामशंकर 19. शेषरज पुत्र बचक 20. प्रदीप कुमार पुत्र बचक 21. जयना प्रसाद 22. अजोरे पुत्रगण भगोती 23. राम उजारीपुत्र पुत्र काजू 24. अक्षेप पुत्र भीष्मा साहिकान मीठा नगर बहारा तथा बनगया परगना अमंडा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. श्रीमान पुत्र धनबक्स 2. प्रभावती पत्नी श्रीमान सनी निवासी ग्राम मेहरपुर तप्या मुनुरदपुर परगना मुहली पूर्व तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर तारीख पेशी 07-08-2024

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. श्रीमान पुत्र धनबक्स 2. प्रभावती पत्नी श्रीमान सनी निवासी ग्राम मेहरपुर तप्या मुनुरदपुर परगना मुहली पूर्व तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर तारीख पेशी 07-08-2024

पहुंचा तो अनामक एक बोलेते में आए तीन लोग ई रिक्शा रोक लिए और मुझे फडककर कमाल से मेरे मुँह पर रखकर कुछ सुना दिया। मुझे बंद मुझे नहीं मारूँ कि या हाव्डा ज मुझे आज मंगलवार को होश आया तो मैंने खुद को गोसाईंगढ़ स्थित स्टेशन पर पाया। वहां से एक गाड़ी में बैठकर अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर आई। आरोपीएन ने अनिमा के बताये नंबर पर उसके भाई मोबल, बहन हाकना व जीजा मनीष के मंगलवार पर सूचना दी। सभी को अकबरपुर आरोपीएन पोस्ट पर बुलाकर अनिमा को उनके सुपुर्द कर किया। अनिमा के परिजनों के अनुसार उसकी मुनुरदनी की सूचना थाना मालीपुर में दर्ज है। इसके बनेते अनिमा को परिजनों के साथ थाना मालीपुर भेजा गया। आगे की कार्रवाई मालीपुर पुलिस कर रही है।

अदालती नोटिस
न्यायालय सिविल जज (सीओ/30) सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्योगोणा
प्रार्थी/प्रार्थीगण
नाम
बनाम
इस्टेट
प्रो प्रो अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
तारीख पेशी 09-08-2024
अपने मृतक के देव ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राति के लिये सन 1886 ई० के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।
चूकि
प्रमाण पत्र को अभिप्राति के लिये आवेदन दिया है और सन 2024 के 08 के 09 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उद्योगोणा निकाली जाती है कि जिस किरी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा .10 बजे पूर्वान न्यायालय सिविल जज (सीओ/30) सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप सजात होकर अपनी आपति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किरी की आपति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।
20 के 08 के 03 दिवस को दिनांकित।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. पटवरीश 2. जायदीश 3. कमलेश 4. अरुणेश पुत्रगण अनिबद्ध साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा नगर बहारा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024
5. ओमशंकर 6. प्रेमशंकर पुत्रगण रमेश्वर. गीता देवी पत्नी विजयशंकर 9. कुनाल पुत्र विजयशंकर 10. राजपति पत्नी राजामा 11. पारसनाथ पुत्र रामेश्वर 12. शंकरशरण पुत्र देवानगि साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा तहसील मन्कपुर जयनन्द-बहादुर 13. कृष्णार 14. बबनशर पुत्रगण पुत्रगण 15. सुशील 16. सतीश पुत्रगण शंकर 17. कु० शशि पुत्री रामशंकर 18. सरोज देवी पत्नी रामशंकर 19. शेषरज पुत्र बचक 20. प्रदीप कुमार पुत्र बचक 21. जयना प्रसाद 22. अजोरे पुत्रगण भगोती 23. राम उजारीपुत्र पुत्र काजू 24. अक्षेप पुत्र भीष्मा साहिकान मीठा नगर बहारा तथा बनगया परगना अमंडा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. श्रीमान पुत्र धनबक्स 2. प्रभावती पत्नी श्रीमान सनी निवासी ग्राम मेहरपुर तप्या मुनुरदपुर परगना मुहली पूर्व तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर तारीख पेशी 07-08-2024

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. श्रीमान पुत्र धनबक्स 2. प्रभावती पत्नी श्रीमान सनी निवासी ग्राम मेहरपुर तप्या मुनुरदपुर परगना मुहली पूर्व तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर तारीख पेशी 07-08-2024

हनुमानगढ़ी और रामलला के चरित्रों में सीएम योगी ने झुकाया शीश, भाजपा नेताओं ने किया स्वागत

अदालती नोटिस
न्यायालय सिविल जज (सीओ/30) सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्योगोणा
प्रार्थी/प्रार्थीगण
नाम
बनाम
इस्टेट
प्रो प्रो अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
तारीख पेशी 09-08-2024
अपने मृतक के देव ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राति के लिये सन 1886 ई० के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।
चूकि
प्रमाण पत्र को अभिप्राति के लिये आवेदन दिया है और सन 2024 के 08 के 09 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उद्योगोणा निकाली जाती है कि जिस किरी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा .10 बजे पूर्वान न्यायालय सिविल जज (सीओ/30) सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप सजात होकर अपनी आपति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किरी की आपति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।
20 के 08 के 03 दिवस को दिनांकित।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. पटवरीश 2. जायदीश 3. कमलेश 4. अरुणेश पुत्रगण अनिबद्ध साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा नगर बहारा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024
5. ओमशंकर 6. प्रेमशंकर पुत्रगण रमेश्वर. गीता देवी पत्नी विजयशंकर 9. कुनाल पुत्र विजयशंकर 10. राजपति पत्नी राजामा 11. पारसनाथ पुत्र रामेश्वर 12. शंकरशरण पुत्र देवानगि साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा तहसील मन्कपुर जयनन्द-बहादुर 13. कृष्णार 14. बबनशर पुत्रगण पुत्रगण 15. सुशील 16. सतीश पुत्रगण शंकर 17. कु० शशि पुत्री रामशंकर 18. सरोज देवी पत्नी रामशंकर 19. शेषरज पुत्र बचक 20. प्रदीप कुमार पुत्र बचक 21. जयना प्रसाद 22. अजोरे पुत्रगण भगोती 23. राम उजारीपुत्र पुत्र काजू 24. अक्षेप पुत्र भीष्मा साहिकान मीठा नगर बहारा तथा बनगया परगना अमंडा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. श्रीमान पुत्र धनबक्स 2. प्रभावती पत्नी श्रीमान सनी निवासी ग्राम मेहरपुर तप्या मुनुरदपुर परगना मुहली पूर्व तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर तारीख पेशी 07-08-2024

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. श्रीमान पुत्र धनबक्स 2. प्रभावती पत्नी श्रीमान सनी निवासी ग्राम मेहरपुर तप्या मुनुरदपुर परगना मुहली पूर्व तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर तारीख पेशी 07-08-2024



संवाददाता-अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां महापौर, विधायक व संसद जन्मभूमिनिर्वाह व भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम रामधाम पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां संकटमोचन हनुमान के चरणों में हाजिरी लगाई। यहां मुख्यमंत्री को स्मृति चिह्न भी भेंट किया गया। सीएम ने यहां दर्शन-पूजन के उपरांत अयोध्या के चरणों में हाजिरी लगाई। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या पहुंचे थे। सीएम ने उस दौरान भी श्रीराम व संकटमोचन हनुमान के चरणों में हाजिरी लगाई थी। लोकसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री दर्शन-पूजन को श्रीरामनाथी पहुंचे। दर्शन-पूजन के दौरान प्रमारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरिश चंद्र त्रिपाठी, विधायक वेदप्रकाश गुप्त, अमित सिंह चौहान, रामेश्वर यादव, जिला चार्जमैन अख्य श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आदि मौजूद रहे।

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. पटवरीश 2. जायदीश 3. कमलेश 4. अरुणेश पुत्रगण अनिबद्ध साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा नगर बहारा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024
5. ओमशंकर 6. प्रेमशंकर पुत्रगण रमेश्वर. गीता देवी पत्नी विजयशंकर 9. कुनाल पुत्र विजयशंकर 10. राजपति पत्नी राजामा 11. पारसनाथ पुत्र रामेश्वर 12. शंकरशरण पुत्र देवानगि साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा तहसील मन्कपुर जयनन्द-बहादुर 13. कृष्णार 14. बबनशर पुत्रगण पुत्रगण 15. सुशील 16. सतीश पुत्रगण शंकर 17. कु० शशि पुत्री रामशंकर 18. सरोज देवी पत्नी रामशंकर 19. शेषरज पुत्र बचक 20. प्रदीप कुमार पुत्र बचक 21. जयना प्रसाद 22. अजोरे पुत्रगण भगोती 23. राम उजारीपुत्र पुत्र काजू 24. अक्षेप पुत्र भीष्मा साहिकान मीठा नगर बहारा तथा बनगया परगना अमंडा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. पटवरीश 2. जायदीश 3. कमलेश 4. अरुणेश पुत्रगण अनिबद्ध साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा नगर बहारा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024
5. ओमशंकर 6. प्रेमशंकर पुत्रगण रमेश्वर. गीता देवी पत्नी विजयशंकर 9. कुनाल पुत्र विजयशंकर 10. राजपति पत्नी राजामा 11. पारसनाथ पुत्र रामेश्वर 12. शंकरशरण पुत्र देवानगि साहिन वीरपुत्र नरायण बनीपारा नगा तहसील मन्कपुर जयनन्द-बहादुर 13. कृष्णार 14. बबनशर पुत्रगण पुत्रगण 15. सुशील 16. सतीश पुत्रगण शंकर 17. कु० शशि पुत्री रामशंकर 18. सरोज देवी पत्नी रामशंकर 19. शेषरज पुत्र बचक 20. प्रदीप कुमार पुत्र बचक 21. जयना प्रसाद 22. अजोरे पुत्रगण भगोती 23. राम उजारीपुत्र पुत्र काजू 24. अक्षेप पुत्र भीष्मा साहिकान मीठा नगर बहारा तथा बनगया परगना अमंडा तहसील हरिया जिला-बस्ती तारीख पेशी 07-08-2024

अदालती नोटिस
सम्मान वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई० (आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मनुआओ जाणा 200 ई०) नं०मु-5172/2024 धारा 144 300390रासो2006 अदालत-श्रीमान उच्च जिलाधिकारी (न्यायिक) हरिया जिला-बस्ती देवान बनाम पटवरीश आदि
1. श्रीमान पुत्र धनबक्स 2. प्रभावती पत्नी श्रीमान सनी निवासी ग्राम मेहरपुर तप्या मुनुरदपुर परगना मुहली पूर्व तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर तारीख पेशी 07-08-2024

दैनिक भारतीय बस्ती